राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

कौशल भवन, जे–8–बी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर–302004
टेलीफोन नम्बर 0141–2715800; http://livelihoods.rajasthan.gov.in

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)
(सामान्य)
रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएलएसटीपी) के तहत परियोजना संचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए
(आरएसएलडीसी पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें)
ईओआई जारी करने की तिथि : 09/07/2019

पृष्ठभूमि : राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) राज्य में लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने के लिए अधिकृत है। सामान्यतः उद्योग और विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में उपयुक्त मानव संसाधन की उपलब्धता के संबंध में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं को आगे बढ़ाने और विकसित करने की आवश्यकता है। RSLDC द्वारा पूर्व में भी विभिन्न EOI जारी कर कौशल विकास केंद्र (SDC) स्थापित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं, तथा बड़ी संख्या में राजकीय और निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कॉमन नॉर्म्स जारी किये गये हैं। चूंकि, राज्य सरकार ने कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए RSLDC को एक नोडल संस्था बनाया है, अतः RSLDC ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ELSTP योजना सहित अन्य संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कॉमन नॉर्म्स को अपनाया है। कॉमन नॉर्म्स को अपनाने के मद्देनजर, आरएसएलडीसी द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका जारी की गई है तथा राज्य के भीतर और बाहर वेतन आधारित/स्व–रोजगार के अवसर प्रदान कर सकने वाले एनएसक्यूएफ अनुवर्ती जॉबरोल/पाठ्यक्रमों की पहचान की है। यह ईओआई राजस्थान के सभी तैंतीस जिलों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ाने और विविधता लाने के उद्देश्य से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जारी की गई है, इस हेतु आरएसएलडीसी पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

क्र.सं.	मापदंड	शर्ते/प्रावधान
I	**पात्रता मापदंड**	**1.** एजेंसी एक पंजीकृत प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सोसाइटी/ट्रस्ट/एसोसिएशन/राजकीय संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयाँ/विश्वविद्यालय/तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थान होनी चाहिए, जिनको संबंधित बोर्ड अथवा काउंसिल की संबद्धता या मान्यता प्राप्त हो। अनुलग्नक–1 के अनुसार कवरिंग पत्र और अनुलग्नक–2 के अनुसार संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदक संस्था द्वारा संबंधित विवरण ऑनलाइन जमा कराया जाना चाहिये। **2.** उपरोक्त समस्त प्रकार की एजेंसियों के संदर्भ में आवश्यक है किः **क.** आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर पिछले तीन वर्षों से देश में कहीं भी लगातार सक्रिय और कार्यरत है। **ख.** **<u>पहले से ही कौशल विकास के क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों के लिए :</u>** पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2016–17, 2017–18 और 2018–19) में कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रमों से रु 50 लाख अथवा अधिक का औसत वार्षिक कारोबार किया गया हो। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता की स्थिति में आवेदक एजेंसी (2015–16, 2016–17 और 2017–18) के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है। इसके अलावा उन्हें निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने होंगे : – (i) भारत के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित आवेदक द्वारा संचालित न्यूनतम पांच कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण, जो अनुलग्नक–4 के अनुसार आवेदन की तिथि से दो वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत/परिचालन में हैं। (ii) पिछले तीन (3) वर्ष (2016–17, 2017–18 और 2018–19) के दौरान उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित कम से कम 750 युवाओं और कम से कम 500 युवाओं को प्रदान किये गये प्लेसमेंट का अनुलग्नक–5 के अनुसार विवरण। **अथवा** **<u>वर्तमान में कौशल विकास के क्षेत्र में काम नहीं करने वाली एजेंसियों के लिए :</u>** पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों (2016–17, 2017–18 और 2018–19) में अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से 2.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक और औसत नेटवर्थ 20 लाख रुपये या उससे अधिक है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता की स्थिति में आवेदक एजेंसी (2015–16, 2016–17 और 2017–18) के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है। **ग.** सभी एजेंसियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों (जैसा कि 2 (ख) में वर्णित है) के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय (टर्नओवर और निवल मूल्य) के विवरण की प्रति अनुलग्नक – 3 के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

		3. संयुक्त उद्यम (Joint Venture)/Special Purpose Vehicles (SPV) को भी आवेदन करने की अनुमति है। जेवी/एसपीवी में से कम से कम एक सदस्य स्वतंत्र रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। जेवी /एसपीवी के नियम और शर्तें अनुलग्नक – 8 के अनुसार हैं। 4. राजकीय संस्थानों को सभी पात्रता मानदंडों से छूट दी जाएगी। हालाँकि उन्हें अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र प्रस्तुत करने होंगे जिसमें वे प्रशिक्षण और प्लेसमेंट का संचालन करना चाहते हैं। 5. एनएसडीसी भागीदार, यानी जिनमें या तो इक्विटी या ऋण के माध्यम से एनएसडीसी की हिस्सेदारी है, उन्हें वित्तीय टर्नओवर और अनुभव की पात्रता मानदंड के विरूद्ध छूट दी जाएगी। 6. किसी दाता (Donor) एजेंसी/राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो। इस हेतु अनुलग्नक – 6 के अनुसार एक स्व–प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 7. आवेदक / एजेंसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले आरएसएलडीसी द्वारा जारी ELSTP मार्गदर्शिका और परिपत्रों (समय–समय पर संशोधित) को पढ़ना चाहिए। आवेदकों को कॉमन नॉर्म्स के दृष्टिगत निम्नलिखित के लिए स्व–घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है :– क. प्रस्तावित पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान, फर्नीचर, उपकरण, प्रशिक्षण में उपयोगी सामग्री, कच्चा माल, बिजली, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्था करना। ख. प्रशिक्षण के बाद जहाँ कहीं भी (वेतन आधारित रोजगार/स्वरोजगार) उपलब्ध हो सके, उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं को कॉउन्सलिंग प्रदान कर मोबलाईज करना। ग. प्रशिक्षणार्थियों के हर बैच के लिए वर्दी के एक सेट की व्यवस्था करना। घ. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम और योग्य प्रशिक्षक या प्रशिक्षकों को नियुक्त/संलग्न करना। च. कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) तथा हॉस्टल (यदि लागू हो) में दैनिक उपस्थिति (अंदर और बाहर) के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) स्थापित करने के लिए, जिसे RSLDC के ISMS सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाना और RSLDC को वांछित अन्य जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। छ. संबंधित सैक्टर स्किल कॉउन्सिल (एसएससी)/एनसीवीटी के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं के मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था करना। ज. प्रशिक्षित किये गये 70 प्रतिशत युवाओं (50 प्रतिशत वेतन/मजदूरी और 20 प्रतिशत स्वरोजगार) को कम से कम 3 महीने या अधिक अवधि के लिए निरंतर रोजगार की व्यवस्था करना। झ. रोजगार से जोडे गए प्रशिक्षित युवाओं की 1 वर्ष की अवधि तक ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। ण. कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए गए व्यय सहित प्रशिक्षण का समस्त रिकॉर्ड न्युनतम 3 वर्ष तक बनाए रखने के लिए। ट. आईपी कैमरा आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली स्थापित करने के लिए। ठ. सभी कौशल विकास केन्द्रों (एसडीसी) में केवल प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (TOT) की अहर्ता प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना **आवश्यक दस्तावेज :** अनुलग्नक – 7 के अनुसार एक स्व–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करें।
II	प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क	प्रशिक्षण प्रदाताओं को रु. 25,000/– (केवल पच्चीस हजार रुपये) का गैर–वापसी योग्य प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग शुल्क) देना होगा। यह आईएसएमएस पोर्टल पर केवल ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग शुल्क) के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने वाले प्रस्तावों को RSLDC द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। **नोट :** राजकीय संस्थानों को प्रोसेसिंग शुल्क से छूट दी जाएगी।
III	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD)	• प्रशिक्षण प्रदाताओं से अनुरोध है कि वे रु. 5,40,000 / – (पांच लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की रिफंडेबल अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) केवल ISMS पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान करें। उपर्युक्त अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) से रहित प्रस्तावित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियत अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। • असफल पाये जाने वाले प्रस्तावो के प्रशिक्षण प्रदाता की ईएमडी अस्वीकृति के निर्णय के बाद यथाशीघ्र (ब्याज के बिना) वापस कर दी जाएगी। अधिचयनित (Shortlisted) प्रशिक्षण प्रदाता के संदर्भ में, एमओयू (MOU) साइन करने तक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) की राशि आरएसएलडीसी के पास रहेगी। • अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) को निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के कारण जब्त किया जाएगाः– क. ईओआई की वैधता की अवधि के दौरान यदि आवेदक संस्था ईओआई प्रक्रिया से निकलता (Withdraw) है (प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से 180 दिनों के लिए ईओआई वैध होगी); ख. अधिचयनित (Shortlisted) किये जाने के बाद यदि आवेदक संस्था ईओआई की आगामी प्रक्रिया (कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन, साइनिंग ऑफ एमओयू) में भाग नहीं लेती है।

		सभी भुगतान (प्रोसेसिंग शुल्क और EMD) का भुगतान RSLDC ISMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जायेंगे। **नोट :** राजकीय संस्थानों को EMD से छूट दी जाएगी।
IV	सुरक्षा जमा राशि	अधिचयनित (Shortlisted) की गई एजेंसी को MoU पर हस्ताक्षर करने के समय RSLDC के पक्ष में प्रति कौशल विकास केन्द्र (SDC) रु. 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) की सिक्योरिटी डिपॉजिट (SD) प्रस्तुत करनी चाहिए, अथवा यह सिक्योरिटी सुरक्षा जमा राशि (एसडी) अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) के विरूद्ध समायोजित की जा सकती है। SD की वैधता एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन साल तक रहेगी। यदि प्रशिक्षण प्रदाता दिए गए समय में कौशल विकास केन्द्र (SDC) स्थापित करने में विफल रहता है अथवा मार्गदर्शिका एवं दिशा–निर्देशों (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार कार्य करने या अनुपालन करने में विफल रहता है तो आरएसएलडीसी उस विशेष एसडीसी के लिए SD राशि को जब्त किया जाएगा। **नोट :** राजकीय संस्थानों को SD से छूट दी जाएगी।
V	परियोजना की अवधि	एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर करने की तिथि से अधिकतम तीन (3) वर्ष।
VI	वित्त पोषण पैटर्न	RSLDC के मार्गदर्शिका/परिपत्रों (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार।
VII	प्रशिक्षण की व्यवस्था	आवेदक को आरएसएलडीसी योजना के मार्गदर्शिका/परिपत्रों (समय–समय पर संशोधित अनुसार) का पालन करना है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन, मूल्यांकन और प्रमाणन, प्लेसमेंट, ट्रैकिंग, भुगतान संवितरण एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिये आरएसएलडीसी द्वारा योजना के लिये जारी किए गए हैं।
VIII	प्रस्ताव जमा करवाने की विधि	उपर्युक्त पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली इच्छुक एजेंसियां आरएसएलडीसी पोर्टल पर एसएसओ आईडी (एसएसओ पोर्टल) के माध्यम से राज्य में रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये अपने विस्तृत प्रस्ताव के साथ दिनांक 25 जुलाई, 2019 को 12.00 बजे मध्यरात्रि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। नोट : – मान्य MoU वाले Empaneled Training Partners (TP) को फिर से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि TP को सैक्टर/जिलों के विशिष्ट ईओआई के तहत सूचीबद्ध किया गया है और वह अन्य सैक्टर/जिलों में काम करना चाहते हैं, तो इस ईओआई के तहत आवेदन कर सकते हैं। **ईओआई में दिए गए चेकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहियें :** 1. मुख्य पत्र– अनुलग्नक–1। 2. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक का विवरण अनुलग्नक–2 के अनुसार। 3. आवश्यक दस्तावेजों के साथ पिछले 3 वर्षों के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण (वार्षिक टर्नओवर और नेट वर्थ) की प्रति अनुलग्नक–3 के अनुसार । 4. पांच (5) सक्रिय कौशल विकास केंद्रों का विवरण अनुलग्नक–4 के अनुसार। 5. आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रशिक्षण और प्लेसमेंट का विवरण अनुलग्नक–5 के अनुसार। 6. ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने का हलफनामा अनुलग्नक–6 के अनुसार। 7. एक स्व–प्रमाण पत्र/घोषणा अनुलग्नक–7 के अनुसार। 8. जेवी/एसपीवी दस्तावेज़/अनुबंध (यदि लागू हो) अनुलग्नक–8 के अनुसार। 9. एनएसडीसी भागीदार, यानी जिनमें या तो इक्विटी या ऋण के माध्यम से एनएसडीसी की हिस्सेदारी है (यदि लागू हो) का प्रमाण–पत्र। **किसी भी प्रस्ताव को बिना किसी कारण के स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी के पास सुरक्षित है। RSLDC का निर्णय कंपनी/एजेंसी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। अधिक जानकारी के लिए वैबसाइट www.livelihoods.rajasthan.gov.in देखें।**
IX.	परियोजना स्वीकृति की क्रियाविधि	1) डेस्क मूल्यांकन 2) गुणात्मक मूल्यांकन 3) प्रस्ताव मूल्यांकन और चयन समिति के समक्ष प्रस्तुति 4) मंजूरी आदेश जारी करना 5) एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर

नोट : 1. समय–समय पर पाठ्यक्रमों और मार्गदर्शिका में संशोधन का अधिकार आरएसएलडीसी में सुरक्षित है।
2. किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बारे में निर्णय लेने के लिए पूर्ण अधिकार आरएसएलडीसी के पास सुरक्षित हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सभी संगठनों/संस्थाओं के लिये इसका निर्णय बाध्यकारी होगा।
3. **EOI के हिन्दी भाषा संस्कृरण में यदि कोई त्रुटि/भ्रम की स्थिति हो तो EOI का अंग्रेजी भाषा संस्कृरण मान्य होगा।**

रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएलएसटीपी) (सामान्य) के तहत (ऑनलाइन) प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र सूची

क्र.स.	दस्तावेज विवरण	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1.	अनुलग्नक –1 के अनुसार मुख्य पत्र		
2.	अनुलग्नक –2 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक का विवरण		
	प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / सोसाइटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन / सरकारी संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों / विश्वविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जिसमें संबंधित बोर्ड या परिषद की मान्यता या मान्यता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान शामिल हैं।		
	• पैन कार्ड की कॉपी		
	• व्यापार लाइसेंस/ बिक्री कर पंजीकरण/आईटी पंजीकरण (यदि कोई हो)		
	• जीएसटी पंजीकरण		
3.	अंकेक्षित वित्तीय (औसत वार्षिक कारोबार और औसत निवल मूल्य) अनुलग्नक –3 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए		
	पिछले 3 वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट		
	वित्तीय वर्ष 2015–16 (यदि लागू हो)		
	वित्तीय वर्ष 2016–17		
	वित्तीय वर्ष 2017–18		
	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के मामले में, एजेंसी (2015–16, 2016–17 और 2017–18) के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है।		
	आयकर रिटर्न पावती पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए		
	वित्तीय वर्ष 2015–16 (यदि लागू हो)		
	वित्तीय वर्ष 2016–17		
	वित्तीय वर्ष 2017–18		
	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आयकर रिटर्न पावती (ITR) की अनुपलब्धता के मामले में, एजेंसी (2015–16, 2016–17 और 2017–18) के लिए आयकर रिटर्न पावती (ITR) प्रस्तुत कर सकती है।		
4.	अनुलग्नक –4 के अनुसार पाँच (5) सक्रिय कौशल विकास केंद्रों का विवरण		
5.	प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण अनुलग्नक –5 के अनुसार		
6.	अनुलग्नक– 6 के अनुसार ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने का हलफनामा		
7.	अनुलग्नक – 7 के अनुसार स्व–प्रमाण पत्र / घोषणा		
8.	जेवी/एसपीवी दस्तावेज अनुलग्नक –8 के अनुसार समझौता (यदि लागू हो)		
9.	एनएसडीसी भागीदार का एक प्रमाण पत्र, यानी जहां इक्विटी या ऋण के माध्यम से एनएसडीसी की हिस्सेदारी है (यदि लागू हो)		
10.	कंपनी सचिव/के अधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता के प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर मय मुहर के साथ ईओआई दस्तावेज़ की प्रतिलिपि		

नोट : एजेंसी को उपरोक्त जांच सूची के अनुसार समस्त EoI दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना होगा, प्रस्तुत करने में कोई कमी पाये जाने पर प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

उनके लिए और उनकी तरफ से :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
(अधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)
(संगठन सील)
दिनांक :

अनुलग्नक –1:
मुख्य पत्र का प्रारूप

(मुख्य पत्र अपने संगठन के लेटरहेड पर एजेंसी का नाम, पंजीकरण संख्या, दिनांक एवं सील के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।)

सेवामें,

प्रबंध निदेशक
राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम
कौशल भवन, जे–8–बी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर – 302 004

श्रीमान,

विषय : रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनरल) के लिए सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध।

कृपया राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा दिनांक .... (ईओआई की प्रकाशन तिथि) को जारी अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के संदर्भ में RSLDC के रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) जनरल में सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्ताव।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि :

1. ईओआई में निर्धारित शर्तों के अनुसार .... (आवेदक एजेंसी का नाम) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. हमने विस्तार से जांच की है और आरएसएलडीसी द्वारा जारी किए गए ईओआई दस्तावेज़ और आरएसएलडीसी द्वारा आगामी सूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों को समझा है। हम इन सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। हमारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है जैसा कि EoI में या RSLDC के किसी भी आगामी संचार में कहा गया है।
3. हमारे प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्ण है, ईओआई में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार कड़ाई से है, और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और समझ के अनुसार सही है। हम अपने प्रस्ताव में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। हम स्वीकार करते हैं कि पूर्वोक्त कार्यक्रम मे आवेदक को सूचीबद्ध करने के लिए आरएसएलडीसी के प्रस्ताव के साथ दी गई जानकारी एवं दस्तावेजों पर निर्भर होगा और हम प्रमाणित करते हैं कि आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्य और सही है; कुछ भी छोड़ा नहीं गया है जो इस तरह की जानकारी को गुमराह करता है; और इस प्रस्ताव के साथ संलग्न सभी दस्तावेज उनकी संबंधित मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां है।
4. आरएसएलडीसी के द्वारा हमारे प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने अथवा इस संबंध में किसी भी प्रकार की चुनौती देने के हमारे अधिकार को कानून द्वारा अनुमत सीमा तक अस्वीकार करने के अधिकार को हम स्वीकार करते हैं।
5. हम कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और EoI में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
6. यह प्रस्ताव बिना शर्त के है और हम ईओआई के नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।
7. हम यह प्रस्ताव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भ्रष्ट व्यवहार, कपटपूर्ण व्यवहार, जबरदस्ती प्रथा, अवांछनीय प्रथा या प्रतिबंधात्मक अभ्यास में लिप्त या एक एजेंट के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

यह प्रस्ताव आरएसएलडीसी के ईएलएसटीपी कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से हमारी रुचि व्यक्त करने तथा निम्नलिखित कार्ययोजना (Action Plan) क्रियान्वयन के लिए किया गया है :

क्र.सं.	जिला	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	सेक्टर	जॉब रोल/ पाठ्यक्रम	आवासीय/गैर आवासीय	लक्ष्य	कार्य योजना

*आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, साधन और उपकरण, प्लेसमेंट टाई अप और सहायक दस्तावेजों के साथ अन्य आवश्यकताओं के लिए तैयारी योजना। एजेंसी को स्वामित्व दस्तावेज/पट्टा समझौते के रूप में एसडीसी की उपलब्धता का प्रमाण देना चाहिए। प्रस्ताव मूल्यांकन और चयन समिति प्रस्ताव में प्रस्तुत बुनियादी ढांचे के सत्यापन के लिए प्रत्येक संस्थान के परिसर का निरीक्षण भी कर सकती है। दस्तावेजी प्रमाण को संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर भी सत्यापन के लिए उपलब्ध कराना होगा।
इसके साक्ष्य में, हम इस प्रस्ताव को EOI दस्तावेज़ की शर्तों के तहत प्रस्तुत करते हैं।

उनके लिए और उनकी तरफ से :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)
(संगठन सील)
दिनांक :

अनुलग्नक –2
आवेदक का विवरण

(संगठन के लेटरहेड पर (एजेंसी का नाम) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा मय पंजीकरण संख्या, दिनांकित हस्ताक्षर और सील)

क्र.स.	विवरण	सूचना
1.	एजेंसी का संवैधानिक नाम	
2.	एजेंसी की स्थिति / संविधान	
3.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
4.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम	
5.	संपर्क का पता और नंबर	
6.	एजेंसी का प्रकार (पंजीकृत) प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / सोसायटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन / सरकारी संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां / विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान जिनमें संबद्ध बोर्ड या परिषद की मान्यता या मान्यता रखने वाले तकनीकी और पेशेवर संस्थान शामिल है।)	
7.	पंजीकरण संख्या	
8.	पंजीकरण की तिथि	
9.	पंजीकरण की जगह	
10.	पैन कार्ड नंबर	
11.	ट्रेड लाइसेंस / बिक्री कर पंजीकरण / आईटी की प्रतिलिपि / पंजीकरण / जीएसटीएन	
12.	संपर्क के प्राथमिक बिंदु / व्यक्ति का नाम (सभी प्रकार के संचार उद्देश्य के लिए)	
13.	दूरभाष संख्या एवं ईमेल	

उनके लिए और उनकी तरफ से :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)
(संगठन सील)

दिनांक :

नोट : निम्नानुसार उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए :

- यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म : प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट ऑफ प्रोप्राइटरशिप की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि।
- यदि पार्टनरशिप फर्म : रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड / पार्टनरशिप सर्टिफिकेट की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि।
- यदि सार्वजनिक / निजी लिमिटेड कंपनी : पंजीकरण / निगमन प्रमाणपत्र और ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख की प्रति।
- यदि सोसाइटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन : समाज / ट्रस्ट / एसोसिएशन का पंजीकरण प्रमाणपत्र और कंपनी के कानुन की प्रतिलिपि।

अनुलग्नक –3
वित्तीय विवरण

(अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ लेटरहेड पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा घोषणा)

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ....(एजेंसी का नाम) पंजीकृत कार्यालय में ....(कार्यालय का पता) रूपये 50 लाख या उससे अधिक का औसत वार्षिक कारोबार कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रमों या रूपये 2.5 करोड़ या उससे अधिक का है। पिछले तीन वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19) में कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रमों और निवल मूल्य रूपये 20 लाख या उससे अधिक के निवल मूल्य सहित विभिन्न गतिविधियाँ, वार्षिक कारोबार का विवरण नीचे उल्लिखित है :

क्र.सं.	वित्तिय वर्ष	वार्षिक आवर्त (Turnover)	निवल मूल्य (Net Worth)
1	2015–16		
2	2016–17		
3	2017–18		
4	2018–19		
	योग		
	औसत		

नोट : पिछले तीन वर्षों (2016–17, 2017–18, और 2018–19) के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट और आईटीआर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे वार्षिक टर्नओवर और निवल मूल्य का समर्थन करना चाहिए। वित्तय वर्ष 2018–19 के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के मामले में, एजेंसी (2015–16, 2016–17 और 2017–18) के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है।

(चार्टर्ड एकाउंटेंट) :

हस्ताक्षर :
नाम :
पंजीकरण क्रमांक :
संपर्क नंबर :

सील

दिनांक :

अनुलग्नक –4

प्रशिक्षण केंद्र विवरण

(संगठन के लेटरहेड पर (एजेंसी का नाम) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा मय पंजीकरण संख्या, दिनांकित हस्ताक्षर और सील)

प्रत्येक सक्रिय कौशल विकास केंद्र के लिए :

क्र.सं.	विवरण	केन्द्र–1	केन्द्र–2	केन्द्र–3	केन्द्र–4	केन्द्र–5	संलग्न दस्तावेज
1.	राज्य						
2.	जिला						
3.	संपर्क सूत्र का नाम, केंद्र के लिए व्यक्ति और संपर्क विवरण						
4.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम						
5.	पूरा पता						
6.	कक्षाओं की संख्या (केंद्र की न्यूनतम क्षमता 30 से कम नहीं होनी चाहिए)						
7.	लैब्स की संख्या						
8.	अलग वॉश रूम लड़कों और लड़कियों के लिए (हॉ नही)						
9.	आवासीय सुविधा का पता (यदि लागू हो)						
10	आवास क्षमता – लड़के / लड़कियां (यदि लागू हो)						

नोट : कृपया प्रशिक्षण केंद्र, किराए पर / स्वामित्व समझौते के अनुसार दो फोटो के रूप में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें। आवासीय सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण केंद्रों के मामले में, आवासीय आवास के लिए अलग–अलग तस्वीरें जिनमें किचन, डाइनिंग हॉल और लिविंग रूम जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

उनके लिए और उनकी तरफ से :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)
(संगठन सील)

दिनांक :

अनुलग्नक – 5
प्रशिक्षण और प्लेसमेंट का विवरण

(संगठन के लेटरहेड पर (एजेंसी का नाम) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा मय पंजीकरण संख्या, दिनांकित हस्ताक्षर और सील)

वित्तिय वर्ष	सेक्टर	कुल प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	प्रमाणित दस्तावेज	प्रशिक्षित युवाओं को उपलब्ध करवाये गये रोजगार की संख्या	प्रमाणित दस्तावेज
2016–17					
2017–18					
2018–19					
योग					

उनके लिए और उनकी तरफ से :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)
(संगठन सील)

दिनांक :

टिप्पणियाँ :
कृपया नीचे दिये गये निर्देशानुसार दस्तावेज प्रदान करें :

आयोजित प्रशिक्षणों के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी की स्व–सत्यापित प्रतियाँ :

- प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के साथ संबंधित क्षेत्र में समान पद पर, ''प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम'' के संचालन में अनुभव का संकेत देने वाले दस्तावेज (सरकार या दाता एजेंसी द्वारा दी गई सत्यापन योग्य जानकारी के स्व–सत्यापित प्रिंटआउट स्वीकार किए जाएंगे)
- प्रस्तावित क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की स्व–सत्यापित विस्तृत सूची

नियुक्त किए गए प्लेसमेंट के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी की स्व–सत्यापित प्रतियाँ :

- प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के साथ संबंधित क्षेत्र में समान पद पर, ''प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम'' के संचालन में अनुभव का संकेत देने वाले दस्तावेज (सरकार या दाता एजेंसी द्वारा दी गई सत्यापन योग्य जानकारी के स्व–सत्यापित प्रिंटआउट स्वीकार किए जाएंगे)
- युवाओं और नियोक्ता के नाम, संपर्क विवरण और उम्मीदवार के वेतन के साथ प्रस्तावित क्षेत्रों में रखी गई युवाओं की स्व–सत्यापित विस्तृत सूची।
- संस्थान या एजेंसी से प्रशिक्षुओं के रोजगार की पुष्टि करने वाले नियोक्ता का पत्र स्पष्ट रूप से भर्ती की तारीख, संख्याओं की भर्ती और सेक्टर / कार्य की श्रेणी का संकेत

अनुलग्नक –6
ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने का हलफनामा

(एजेंसी के सचिव/प्राधिकृत द्वारा न्यूनतम रु. 50/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा
उसके दिनांकित एवं मुहर के साथ हस्ताक्षर)

शपथ पत्र

हम ....(एजेंसी का नाम) अपने पंजीकृत कार्यालय में ....(कार्यालय का पता) इसके द्वारा घोषित करते हैं कि आवेदक को किसी भी दाता एजेंसी / राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा हमारे हिस्से पर उल्लंघन के लिए ब्लैक लिस्टेड/डेबिट नहीं किया गया है।

उनके लिए और उनकी तरफ से :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)
(संगठन सील)

दिनांक :

अनुलग्नक – 7
स्व–घोषणा पत्र

(संगठन के लेटरहेड पर (एजेंसी का नाम) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा मय पंजीकरण संख्या, दिनांकित हस्ताक्षर और सील)
जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

पंजीकरण दस्तावेज / प्रमाण पत्र के आधार पर, हम मेसर्स (एजेंसी का नाम), कार्यालय में (कार्यालय का पता) रखते हैं, जिससे आरएसएलडीसी के मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित के लिए हमारी सहमति मिलती है (समय–समय पर संशोधित)

1. दिशानिर्देश में दिए गए विनिर्देश के अनुसार समर्पित कौशल विकास केंद्र (SDC) स्थापित करने के लिए, प्रत्येक स्थापित SDC की क्षमता प्रति वर्ष 100 युवाओं से कम नहीं होनी चाहिए।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान, फर्नीचर, उपकरण, प्रशिक्षण सहायक, कच्चा माल, बिजली, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
3. प्रशिक्षण के बाद जहाँ कहीं भी (वेतन आधारित रोजगार/स्व–रोजगार) उपलब्ध हो सके, उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं को कॉउन्सलिंग प्रदान कर मोबलाईज करना।
4. प्रशिक्षणार्थियों के हर बैच के लिए वर्दी के एक सेट की व्यवस्था करना।
5. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम और योग्य प्रशिक्षक या प्रशिक्षकों को नियुक्त / संलग्न करना।
6. कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) तथा हॉस्टल (यदि लागू हो) में दैनिक उपस्थिति (अंदर और बाहर) के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) स्थापित करने के लिए, जिसे RSLDC के ISMS सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाना और RSLDC को वांछित अन्य जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।
7. संबंधित सैक्टर स्किल कॉउन्सिल (एसएससी)/एनसीवीटी के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं के मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था करना।
8. प्रशिक्षित किये गये 70 प्रतिशत युवाओं (50 प्रतिशत वेतन/मजदूरी और 20 प्रतिशत स्वरोजगार) को कम से कम 3 महीने या अधिक अवधि के लिए निरंतर रोजगार की व्यवस्था करना।
9. रोजगार से जोडे गए प्रशिक्षित युवाओं की 1 वर्ष की अवधि तक ट्रैकिंग सुनिश्चित करना।
10. कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए गए व्यय सहित प्रशिक्षण का समस्त रिकॉर्ड 3 वर्ष तक बनाए रखने के लिए।

उनके लिए और उनकी तरफ से :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)
(संगठन सील)

दिनांक :

अनुलग्नक – 8

संयुक्त वेंचर्स/कंसोर्टियम आवेदकों के लिए नियम और शर्तें

1. कंसोर्टियम दो पीआईए के बीच एक कानूनी समझौते पर आधारित होगा जहां कंसोर्टियम के लीड सदस्य को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हों।
2. लीड सदस्य परियोजना के लिए पूरी वित्तीय जिम्मेदारी वहन करेगा, जिसमें परियोजना की किसी भी चूक या विचलन के मामले में सरकार की मांग/वसूली पूरी होनी चाहिए या जिसके लिए मंजूरी के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ है।
3. परियोजना के स्वीकृत होने के बाद लीड सदस्य परियोजना से withdraw नही कर सकता है। परियोजना के संचालन के लिए अनुमोदन आदेश के अनुसार सभी प्रतिबद्धताएं लीड सदस्य द्वारा पूरी की जानी चाहिए, यदि आवेदक PIA ऐसा करने में विफल रहता है।
4. लीड सदस्य अन्य सदस्य की क्षमताओं को भी विकसित करने का कार्य करेगा।
5. लीड सदस्य दिशा–निर्देशों के संदर्भ में सभी वित्तीय पात्रता मानदंडों को भी पूरा करेगा।
6. आवेदक पीआईए अनुमोदन के अनुसार परियोजना के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।
7. इस परियोजना को आवेदक पीआईए के नाम से मंजूरी दी जाएगी, और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि परियोजना को संघ के रूप में लिया जा रहा है।
8. कंसोर्टियम में सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया जाना है।
9. लीड सदस्य का निरीक्षण तंत्र स्पष्ट और पर्याप्त होना चाहिए।
10. दोनों कंसोर्टियम के सदस्य भविष्य की परियोजनाओं में वर्गीकरण के लिए एक कंसोर्टियम के तहत किए गए काम के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।